संख्या-129/001/183(1)/25-27-सिं-9-74 एसएसवी/24

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक, 26 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनु0 सं0-94 के लेखाशीर्षक-2702-03-103-03-29 नलकूपों का अनुरक्षण हेतु पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4432/आई0बी0/2702/2025-26, दिनांक 28.01.2025 एवं पुनर्विनियोग शासनादेश संख्या-A027-20242025-183-25-27-सिं-9-74एसएवी-24, दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा चालू वित्तीय 2024-25 में अनुदान संख्या-94 के **लेखाशीर्षक-2702-03-103-03-29 नलकूपों का अनुरक्षण** हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध करायी गयी है:-

(1) विभाग जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। विभाग इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 2702031030300 अन्य रख रखाव व्यय **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख अभियन्ता(यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

(2) मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

(3) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

(4) अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है